फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

अडीसाल बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–128 एल.आर.ए. मु0नं0– 77/2024

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.03.2025 27.03.2026	पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी भूमि खसरा संख्या 126, 127 रामा बैराडा खुर्द तहसील बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है जिसकी खातेदारी प्राथीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि का का सीमाज्ञान दिनांक 12.06.2024 को तहसीलदार बहरावण्डा के आदेश से करवाया जा चुका है एवं सीमाचिन्ह स्थापित है। प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी आराजी में पत्थरगढी नहीं की गई है, बरसात के कारण सीमाचिन्ह नष्ट हो चुके है जिससे अनावश्यक विवाद की संभावना रहती है इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही हेतु आदेश प्रदान किए जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बहरावण्डा से जवाब स्टेट तलब किया गया। प्रकरण में बहरावण्डा द्वारा जवाब पेश किया गया। पडौसी खातेदारान की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 पेश किया गया है जिसे स्वीकार कर पक्षकार संयोजित किया गया है एवं जवाब प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिस पर 128 एल0आर0एक्ट के प्रावधानों के अनुसरण में खातेदारान को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी कार्यवाही करवाने का पूर्ण अधिकार है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि उनकी खातेदारी भूमि भी विवादित भूमि से लगते हुए स्थित है जिसके संबंध में पृथक से पत्थरगढी बाबत पत्रावली पेश की है, उसे भी स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण की भूमि की भी पत्थरगढी की जावे। जवाब स्टेट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, विवादित भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिस पर प्रार्थी को पत्थरगढी करवाने के पूर्ण अधिकार है। अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी के संबंध में चाहा गया अनुतोष उनके द्वारा पृथक से पेश पत्थरगढी बाबत पत्रावली में प्राप्त करें। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि की पत्थरगढी के आदेश तहसीलदार बहरावण्डा को प्रदान किए जाते है। तहसीलदार नियमानुसार पत्थरगढी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। पालना तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	